

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

यन्त्र व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

06⁰²/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अभ्यर्था/ पीठासीन अधिकारी
को पर अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-15/02/19 को पेश हो

26⁰⁴/₁₉

रिजिस्ट्री पेश करने पर
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अभ्यर्था/ पीठासीन अधिकारी
को पर अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-20/05/19 को पेश हो

20⁰⁵/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उपस्थित।
पूर्व में उतिवादी सं. 4 की ओर से श्री नमदीत
शर्मा ए. ने इन्वली जवाब पेश किया
जो अभिलेख पर लिखा जाता है। उतिवादी
सं. 9 की तामील पूर्व में सम्पूर्ण दप से
होकर लौटी है। बावजूद सम्पूर्ण तामील
उक्त उतिवादी की ओर से कोई हजिर अदालत
नहीं आया है। अतः उतिवादी सं. 9 के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही उमल में लई जाती है।
वकूलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दसा
डिक्री किया जाने का निर्दय किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रेकॉर्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का
अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन
से बदीगण का वाद स्वीकार किया जाने
योग्य पाया जाने पर न्यायहीत में स्वीकार
किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की
जारी की जाती है कि :-

आदेश



तन ग्राम आपपुरा प० ह० सुजाना तहसील
 छण्डेला उन्मत्तित कृषि भूमि ख० नं० 10 कब्जा
 5.21 हे० में हिस्सा 1/3 की छातेदारी से मृतक
 हिरालाजदास पुत्र उतापदान का नाम हजफ
 किया जाकर वारी सं० 1 हिस्सा 1/12, वारी सं०
 2 हिस्सा 1/12, वारी सं० 3 हिस्सा 1/12, वारी
 सं० 4 हिस्सा 1/48, वारी सं० 5 हिस्सा 1/48, वारी
 सं० 6 हिस्सा 1/48 एवं वारी सं० 7 हिस्सा 1/48
 का छातेदार कारतकार घोषित किया जाता
 है। तहसीलदार छण्डेला उक्त हिस्सों का नियम
 अनुसार जमा योग्य ^{हक मग डालक} Stamp शुल्क राजकीय में
 जमा लिया जाते के उपरान्त राजस्व रेकार्ड
 में उमल दलामद हो। तदनुसार पर्चा
 डिक्री जारी हो। पत्रावली कंसल शुमार होकर
 नम्बर से काम हो तथा बाद तहसील शाखिल
 दफतर हो। निगमि खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।



20/5/19
 मि. वि. माल. उ. वि. (RAS)
 न्यायिक कलेक्टर
 फास्ट ट्रैक
 छण्डेला

अनिम - डिग्री मुकदमा इब्तदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जायदा दीयानी)

अज अदालत नहामक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

महजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① उमताजा सिंह वनाम ② हाददान

दावा बाबत इस्तिकार हक एवं खर्चा निषेधाता

मुकदमा नं. 102 रात 2018

यह मुकदमा आज वास्तो इनाफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री रामावता विजयप्रियामिनजानिब मुहं रुबरु श्री वसन्त कुमार

वमी मिमजानिब मुहायलह पेशा हांकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

तन उताम उतापपुरा पं.ह. सुंजना तहसील खण्डेला अवस्थित खेति भूमि
ख.नं. 10 (कवा 5.21 हे. में हिस्सा 1/3 की खातेदारी से मूलक इगलाजरात
पुत्र उतापदान को नाम हजफ किया जाकर वादी सं. 1 हिस्सा 1/2, वादी सं.
2 हिस्सा 1/2, वादी सं. 3 हिस्सा 1/2, वादी सं. 4 हिस्सा 1/8, वादी सं. 5 हिस्सा 1/8

मिज X गुबलिग X बाबत X

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद नशरह X फीसदी महत्तना आज की तारीख सं

मासख अदायगी तक X का अदा करें।

नखदा मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह रात

तारी की गई।

मुहर

(महीपाल सिंह) RAS
जुडिसियल कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

| मुहंई | रुपये | पैसे | मुहायलह | रुपये | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| मुहंतीना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिशनर | | |
| फीस कमिशनर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| | मीजान | | | मीजान | |

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना

* ② इन्द्राजसिंह ③ महेन्द्रासिंह पुत्रगण अमादान

④ उद्धव कंवर पत्नी भागीरथसिंह

⑤ दिनेश ⑥ ओमसिंह ⑦ तबिन्द्रसिंह पुत्रगण भागीरथसिंह
जाति चाण निवासी नीमकी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
— चादीगण



वनाम

पुत्र गणेशदान

② सम्पत कंवर ③ ललाच कंवर ④ गौपाल कंवर

⑤ बीजा कंवर ⑥ मंजू कंवर ⑦ बेबी कंवर

⑧ लकीर कंवर पुत्रीयां अमादान जाति चाण निवासी
नीमकी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

⑨ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— उतिवादीगण

* 1/48, वारी सं. 6 हिस्सा 1/48 एवं वारी सं. 7 हिस्सा 1/48 का
खतदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार
खण्डेला उक्त हिस्सों का नियमानुसार जमा योग्य Stamp
शुल्क/राजकोष में जमा लिया जाने के उपाय राजस्व
रेकार्ड में अमल दायम है।

20/10/19
(महेपालसिंह) KAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला